

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 282/2025

- 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादीगण

बनाम्

- 1 सरवन सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदक्री श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 डीएनजी के खाता संख्या 147/32 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 सरवन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह को एवं चक 3 एसटीपी के खाता संख्या 100/87 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 सरवन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चको के उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल..........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.6.2025 को जारी किया गया।

HS

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड संगरिया
मंगरिया

